सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 10/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – मालपुरा

1– श्री गिरधारीसिंह पुत्र श्री मकना आयु लगभग 64 साल जाति मेहरा निवासी ग्राम सुबेदार का बाडिया मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

2– श्रीमति राधा पत्नि गिरधारी आयु लगभग 64 जाति मेहरात निवासी ग्राम सूबेदार का बाडिया मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———वादीगण

ब ना म

1– श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर

2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मालपुरा में प्रस्तुत हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि मौजा ग्राम मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर में आराजी खसरा नंबर 101, 102, 103, 113, 112, 98 आराजीयात स्थित चली आती है, उक्त खसरो में खसरा नंबर 101, 102, 103, 113 पर श्रीमति राधा व खसरा नंबर 112 व 98 पर श्री गिरधारी का कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि पर वादीगण के पूर्वज राजस्थान में काश्तकारी कानून लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त थे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौसम अनुरूप खेती करते चले आ रहे थे। वादीगण भी अपने पूर्वजो के साथ व उनके पश्चात भी प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि पर सिचांई की उचित व्यवस्था नही होने के कारण वादीगण व उनके पूर्वज बारिश होने पर ही बुवाई करते थे उक्त तथ्य कि विवादित भूमि में सिंचाई व्यवस्था बारिश में ही थी। अजमेर टीनेन्सी व लेण्ड रिकार्डस एक्ट 1950 के लागू होने पश्चात 1951–1952 में किया गया जिसे 50 साला बन्दोबस्त कहते है, तथा बारानी भूमि जिसे रेनफेड एरिया कहा जाता था उस पर वादीगण के पूर्वजो ने इस भूमि को अपने नाम अंकित इसलिये नही कराया क्योकि अजमेर जिले में बरसात की कमी की वजह से उस भूमि का लगान अधिक लग जायेगा। राजस्थान जमीदारी एंव बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 लागू हुआ परन्तु विवादित भूमि के जोतने वाले काश्तकार वादीगण व उनके पूर्वजो को जो अधिकार उपरोक्त अधिनियमो के माध्यमो से प्राप्त हुये उनका राजस्व अभिलेख में नियमन, भू सर्वेक्षण एंव भू अभिलेख नही होने के कारण नही दिये जा सके जबकि वादीगण व उनके पूर्वज दीर्घकालीन समय से ही काबिज काश्त थे व परन्तु अजमेर क्षैत्र में भू सर्वेक्षण एंव भू अभिलेख नही होने के कारण वादीगण व उनके पूर्वजो का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही किया गया। वादीगण के कब्जे काश्त होने के कारण अविधिक रूप से तहसीलदार महोदय ने वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट दर्ज कर विवादित भूमि से बेदखल कराने के आदेश दिया। अब राज्य सरकार वादीगण की प्रश्नगत भूमि को वादीगण को सुने बिना व्याप्त करने व उक्त की प्रकृती तबदील करने की प्रक्रिया में है, अतः प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, केवल नियमन कमेटी गठित नही होने से वादीगण का प्रश्नगत भूमि बाबत उनके अधिकारो बाबत सुना ना जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के पूर्णतः विपरित है। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को विवादित भूमियो

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी तहसीलदार महोदय, ब्यावर को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे तथा वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे। दौरान वाद वादीगण को विवादित भूमियो से बेदखल कर दिया जाता है, तो जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा आराजीयात बाबत मौके व राजस्व अभिलेखो में पूर्ववत स्थित प्रतिवादीगण के खर्चे से कायम कराई जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार ब्यावर ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया विवादित भूमियां सिवायचक पहाडियां पर्वत दांती के रूप में अथवा खसरा नंबर 113/2 हेलीड्रोम निर्माण हेतू आरक्षित है, तथा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियो होने से खारीज किया जावे।

मजमें आम में उपस्थित वादी गिरधारीसिंह ने कथन किया कि प्रकरण में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी के अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया वादीगण ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमियो पर अपने पूर्वजो के समय से कब्जा होने का कथन करते हुये खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया वादीगण द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादीगण द्धारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को धारा 80 जाब्ता दीवानी का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 06.11.2017 को दिया जाना पाया गया। तथा उक्त नोटिस को जरिये डाक रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रेषित किये जाने बाबत पोस्टल रसीद पेश की है, तथा तहसीलदार ब्यावर को नोटिस प्राप्त होने बाबत ए0डी0 प्रस्तुत किया जाना पाया गया। जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार खसरा नंबर 103 पहाडियां पर्वत मजकूर दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार खसरा नंबर 101, 102 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2047 से 2049, 2054 से 2057, के अनुसार खसरा नंबर 101, 102, 106, 112, 98, 103 सरकारी जमीन एंव चालू पडत व पुरानी पडत, एंव पहाडिया पर्वत दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के अनुसार खसरा नंबर 101, 102, 109, 98 नाकाबिल काश्त भूमि दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2054 से 2057 खसरा नंबर 98, 106 सिवायचक दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 98/1, 103, 101/1, 102, 113/1 पहाडिया पर्वत दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 101/2 हेलीड्रोम निर्माण हेतू आरक्षित दर्ज होना पाया गया। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरान के हाल खसरान दर्ज होना पाया गया। तथा जो वादीगण द्धारा दस्तावेजात गिरदावरीयां प्रस्तुत की गई है, वह फोटो प्रतियां प्रतिया प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के आधार पर वादीगण का विवादित भूमियो पर कब्जा होना नही पाया जाता है, तथा विवादित भूमियो के विषय में वादीगण का कब्जा पूर्वजो के समय होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना पाया नही पाया गया। इसके अतिरिक्त भी तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमियों की किस्म पहाड़ी व पर्वत होने से आवंटन हेतु प्रतिबन्धित है एवं साथ ही हेलीड्रोम के लिए भी आरक्षित दर्ज होना भी पाया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण से खारीज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्धारा कोर्ट केंप मालपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व वाद संख्या 10/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – मालपुरा

1– श्री गिरधारीसिंह पुत्र श्री मकना आयु लगभग 64 साल जाति मेहरा निवासी ग्राम सुबेदार का बाडिया मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
2– श्रीमति राधा पत्नि गिरधारी आयु लगभग 64 जाति मेहरात निवासी ग्राम सूबेदार का बाडिया मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———वादीगण

ब ना म

1– श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर
2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री रोहित चौधरी व दिलीपसिंह गोरा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2– पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **10/2018**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **07.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मालपुरा में पेश हुआ। वादी संख्या 1 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़मेें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.05.2018 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट मालपुरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़मेें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर